राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 7 (66) परि/रूल्स/एच.क्यू./94 जयपुर, दिनांक : 28.01.2011

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 7 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 21.01.2011 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 21.01.201 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 8.28 का संशोधन.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.28 के विद्यमान अंतिम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह भी कि उन स्थानों के लिए जहां यह उपबंध इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व से ही प्रवृत्त हो, के सिवाय इस नियम के अधीन ऐसे सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (हैड गियर) के उपयोग का उपबंध करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (हैड गियर) प्राप्त करने के लिए 30 दिन की न्यूनतम कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(मदन सिंह काला)
शासन उप सचिव

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(66)/PARI/RULES/HQ/94/ Jaipur, Dated: 28.01.2011

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2011, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3 (kha), dated 21.01.2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 7 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 21.01.2011.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 8.28.- The existing last proviso to rule 8.28 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, shall be substituted by the following, namely:-

"Provided also that a minimum period of 30 days shall be allowed to obtain the protective head gear from the date of publication of the notification providing for use of such protective head gear under this rule except for the places where this provision is already in force prior to coming in force of the rules."

By order of the Governor

(Madan Singh Kala)
Dy. Secretary to the
Government of Rajasthan